

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारा



प्रकरण संख्या : 8/2019

सरकार जर्ने लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

रामबिलास पुत्र बेजनाथ वगै० जाति मीणा निवासी कुशिया मांगरोल जिला बारा

....अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

दायरा दिनांक: 25.01.2019

निर्णय दिनांक : 25.01.2019

पटवारी हल्का किशनपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के जर्ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत इस आशय का प्राप्त हुआ है कि ग्राम कुशिया में खाता संख्या 118 में खसरा नं० 153 रकबा 0.11 है०, खसरा नं० 225 रकबा 0.80 है०, खसरा नं० 227 रकबा 0.42 है०, खसरा नं० 324/474 रकबा 2.47 है०, खसरा नं० 325 रकबा 2.07 है० कुल किता 5 रकबा 5.87 है० खातेदार रामबिलास, रामरतन, चन्द्रप्रकाश, जगदीश मुकुट बिहारी पुत्र बेजनाथ जाति मीणा सा० देह के नाम खाते दर्ज है। तथा खसरा नं० 324 रकबा 0.30 है० किस्म गै० मु० नहर सिंचाई विभाग के खाते में दर्ज है।

मुताबिक सेटलमेंट जमाबंदी सम्वत (2044-63) खसरा नं० 324 का कुल रकबा 2.77 है० दर्ज था। जो वर्तमान में लिफ्ट नहर का रकबा कम कर दिये जाने से खसरा नं० 324/474 रकबा 2.47 है० दर्ज है। मौके पर लिफ्ट नहर खसरा नं० 325 रकबा 2.07 है० में होकर निकली हुयी है। जबकि रकबा खसरा नं० 324 का कम किया गया है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं० 324 रकबा 2.77 है० व खसरा नं० 325 रकबा 2.07 है० साबिक खसरा नं० 282 मिन रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा करवाये गये है।

अतः खसरा नं० 324 रकबा 0.30 है० नहरी प्रथम दर्ज को वापिस उपरोक्त खातेदारान रामबिलास, रामरतन, चन्द्रप्रकाश, जगदीश मुकुट बिहारी पुत्र बेजनाथ के खाते दर्ज किया जाना है तथा खसरा नं० 325 रकबा 2.07 है० में 0.30 है० कम किया जाकर खसरा नं० 325 का रकबा 0.30 है० किस्म गै० मु० नहर दर्ज कर सिंचाई विभाग के खाते दर्ज किया जाना है।

उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र जर्ने लैण्ड होल्डर प्राप्त होने पर प्रकरण दिनांक 25.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

अतः प्रार्थना पत्र के समस्त सलंगन दस्तावेजात 1. हाल नकल जमाबंदी 2074-77 खाता संख्या 118 ग्राम कुशिया 2. हाल नकल जमाबंदी 2074-77 खाता संख्या 163 ग्राम कुशिया 3. प्रतिलिपि नक्सा की

निर्णय प्रति की रोशनी में प्रकरण का भली प्रकार अध्ययन, अवलोकन एवं मनन के उपरान्त आदेश है कि ग्राम कुशिया की आराजी खसरा नं० 324 रकबा 0.30 है० नहरी प्रथम दर्ज को वापिस उपरोक्त खातेदारान रामबिलास, रामरतन, चन्द्रप्रकाश, जगदीश, मुकुट बिहारी पुत्र बेजनाथ के खाते दर्ज किया जाकर खसरा नं० 325 रकबा 2.07 है० में से 0.30 है० कम किया जाकर खसरा नं० 325 का रकबा 0.30 है० किस्म गै० मु० नहर दर्ज कर सिचाई विभाग के खाते दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को सरेइजलास मजमेंआम में सु